



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर म.प्र.

ब्लॉक- 15, सिविक सेंटर, मदाताल, जबलपुर (म.प्र.)

Email-Id jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

क्रमांक-957/नवानि/18/ JBLLP4046/बी/42/07.11.2017

दिनांक 28/03/2018

प्रति,

पिंजरा पोत गौशाला, चेरीटेबल ट्रस्ट
अध्यक्ष- श्री प्रशांत अग्रवाल
डेव्हलपर्स- श्री सौरभ बहेरिया एवं अमन तिवारी
निवासी- 236 मिलानीगंज, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वाई,
जबलपुर, म.प्र.

विषय:- सुभाष नगर स्थित कमला नेहरू नगर वाई स्थित प.ह.नं.-31, नं.ब.-773, प्लॉट नं.- 268/1 डाय
शीट नं. 71, रकबा 6004.15 वर्गमीटर भूमि पर विकास अनुज्ञा ब्रॉक्चर।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 27.10.2017 इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 08.11.2017 आचक क्रमांक
1988।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार लेख है कि आवेदक
पिंजरा पोत गौशाला, चेरीटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष- श्री प्रशांत अग्रवाल डेव्हलपर्स- श्री सौरभ बहेरिया एवं अमन तिवारी
निवासी- 236 मिलानीगंज, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वाई, जबलपुर, म.प्र. द्वारा प्रस्तुत सत्पापित भूमि स्वामित्व
दस्तावेजों के अनुसार सुभाष नगर स्थित कमला नेहरू नगर वाई स्थित प.ह.नं.-31, नं.ब.-773, प्लॉट नं.- 268/1
डाय शीट नं. 71, रकबा 6004.15 वर्गमीटर भूमि पर वाणिज्यिक विकास हेतु अनुज्ञा चाही गयी है।

जबलपुर विकास योजना-2021 के प्रस्ताव अनुसार भूमि के सम्मुख प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई 24
मीटर एवं भूमि का 24 मीटर गहराई तक भू-उपयोग वाणिज्यिक निर्दिष्ट है तथा शेष पार्श्व भूमि का भूमि उपयोग
सार्वजनिक एवं आर्धसार्वजनिक निर्दिष्ट है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2850 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा
भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रस्तावित भूमि का स्थान निरीक्षण दिनांक
10.03.2018 को आवेदक के वास्तुविद् श्री नीरज अग्रवाल की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाये गये स्थान का
कार्यालय के श्री राजेश दीवान (स.मा.धि.) द्वारा किया गया। मुख्य मार्ग की ओर रिक्त भूमि है तथा पार्श्व भाग
में पुराना निर्माण है। तथा भू-खण्ड पर बाउन्ड्री वाल निर्मित है। प्रस्तावित भूमि जबलपुर विकास योजना 2021 के
पृष्ठ क्र. 48 के सारणी 2-सा-12 के सरल क्र. 1 के अनुसार मदन महल मार्ग (रानीताल घांराहे से मदन महल
स्टेशन) कि चौड़ाई 24 मीटर एवं वाणिज्यिक मार्ग। इसी प्रकार पृष्ठ क्र. 61 सारणी क्र. 3-सा-5 के सरल क्र. 1 में
प्रावधानित है पुराना मिर्जापुर मार्ग (लज्जाशंकर झा मार्ग 24 मीटर एवं उसके बाद 36 मीटर) होने से अधिक चौड़ाई
के विवरण को आधार माना जाकर 36 मीटर प्रावधानित किया गया है। जिस पर विषयांकित भूमि से रानीताल
चौक जाने वाले मार्ग पर स्थित है, तथा रानीताल चौक से गढ़ जाने वाले मार्ग पर भी आवेदक की भूमि का अग्र
भाग है जिसकी चौड़ाई जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 6 में उक्त मार्ग को 24 मीटर प्रस्तावित किया
गया है। तदनुसार कार्यालय द्वारा उक्त मार्ग को 24 मीटर चौड़ा मानते हुए अनुमतियों प्रदान कि गई है। इस
प्रकार भू-खण्ड पर उक्त दोनो मार्ग लगे हुए हैं, जिनकी चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर एवं 24 मीटर तथा उक्त दोनो
मार्ग में से पुराना मिर्जापुर मार्ग को वाणिज्यिक मार्ग प्रावधानित किया गया है। तदनुसार 24 मीटर गहराई तक
वाणिज्यिक उपयोग प्रावधानित है।

Signature valid
Digitally signed by NEERAJ ANAND
LIKHAR
Date: 2018.03.28 15:20:23 IST

आदेश के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार पिछला पोल गौशाला रागीताल ट्रस्ट की निजी भूमि पर वाणिज्यिक भवन निर्माण किये जाने के संबंध में पिछला पोल गौशाला रागीताल ट्रस्ट कि बैठक दिनांक 30.06.2016 पारित किये गए निर्णय अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष विधिवत आवेदन धारा 13 एवं 14 म.प. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत पेश किया, फरसवरूप न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोतवाली जबलपुर के प्रकरण क्र. 09/बी-113/2015-16 दिनांक 23.07.2016 में वर्णित लेख के अनुसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र नवभारत एवं हरिमणि दिनांक 13.07.2016 प्रकाशन कर दावे आपत्तिय आमंत्रित कर तथा वर्णित बिन्दु क्र 1 के अनुसार भवन निर्माण कि अनुमति प्रदान की गई। मू-अधीनस्थक भू-अधिलेख परिवर्तित भूमि जबलपुर के प्रकरण क्र. 2/अ-6-अ/12-13 के द्वारा नाम दर्ज करवाया गया तथा प्रस्तावित भूखण्ड में मुख्य स्थापत्य निरीक्षक संभाग-2 के द्वारा दिनांक 08.02.2013 नोटिस प्रदान कर प्रस्तावित स्थल पर स्थित डेरीपशुपालन व्यवसाय हटाने हेतु लेख किया गया था। आयुक्त नगर निगम जबलपुर के पत्र क्र. 198 दिनांक 02.05.2016 के द्वारा मर्माधीनारे के सर्वेचीकरण हेतु स्वेच्छ से समर्पित कि गई ट्रस्ट की भूमि के वास्तविक क्षेत्र के मान से अतिरिक्त एक ए.आर प्रदान करने का लेख किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत स्थापत्य दस्तावेजों एवं शपथ पत्र दिनांक 01.04.2017 न्यायालय तहसीलदार कोतवाली का सीमांकन प्रतिवेदन 0054/अ 12-2015-2016 आदेश दिनांक 20.03.2017 तथा स्थल पंचनामा प्रदाय किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कोतवाली के प्रकरण क्रमांक 108 दिनांक 10.08.2016 के द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्रमांक 970 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के परिणाम में एवं आपके संदर्भित आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर 24 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग में अधिकतम 24 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकास योजना के पृष्ठ क्र. 61 के मानचित्र के अनुसार पुराना बिजोपुर मार्ग (प्रधान मार्ग स्टेशन से रानीताल चौक) 24.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग है तथा म.प. शासन आवास एवं पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02/07/2009 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र के अंतर्गत उक्त मार्ग पर अधिकतम 24 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग उपयुक्त निर्दिष्ट होने हेतु इस कार्यलय के पत्र क्रमांक 2850 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा भूमि उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है साथ ही विषयवर्षित भूमि के स्थानित संबंध किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

विषयवर्षित भूमि के संबंध में नज़र विभाग द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार अनापत्ति प्रदान किये जाने के व न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोतवाली जबलपुर के प्रकरण क्र. 09/बी-113/2015-16 दिनांक 23.07.2016 द्वारा म.प. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत धारा 13 एवं 14 के प्रावधान के अंतर्गत दि गई अनुमति व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कोतवाली जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 171/अ-22/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-59(5), (6) एवं 14(2) के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोक्ता निर्धारण किया गया है। इसी परिपेक्ष में म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(2) एवं 45 के प्रावधानों के अंतर्गत व म.प. शासन द्वारा अंतीकृत विकास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग की विषयवर्षित भूमि का प्रस्तुत स्थल मानचित्र जो कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-28(1) के तहत आवेदन में संलग्न सत्यापित स्थापित दस्तावेजों (विक्रय पत्र) शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 01.04.2017 को प्रस्तुत किया गया है आवेदक द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव को म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(1) के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम 2(5)(क) एवं 2(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत

मानचित्र अनुमोदित कर वर्णित शर्तों के साथ म०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आयोग आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से विकास निर्माण अनुज्ञा से पूर्व अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा-

अ. म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172

ब. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1956 (क्र.23 सन्-1956)

स. मजूल विभाग जबलपुर

द. अन्य किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्य सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. विषयांकित भूमि के सामने मुख्य मार्ग 36 मीटर है उक्त मार्ग के मध्य से 18 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा, संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये मार्गाधिकार अंतर्गत भूमि का निर्धारण अधिबहीत किये जाने वाली संस्था द्वारा ही अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात का नियम अनुसार निर्धारण कर प्रदाय किया जा सकेगा। परंतु किसी भी परिस्थिति में नियमानुसार अनुज्ञेय भवन कि उचाई से अधिक मान्य नहीं होगी।

3. अनुज्ञा की शर्त क्रमांक-02 अनुसार मार्ग मध्य से 18 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखने के पश्चात् संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारों ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा। उक्त सीमांत खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये यह सुनिश्चित भवन अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।

4. उपरोक्त वर्णित स्थल निरीक्षण प्रतीवेदन एवं तकनीकी परीक्षण के आधार पर भूमि के पूर्व दिशा में स्थित लज्जाशंकर मार्ग एवं उत्तर दिशा में गढ़ा को जाने मार्ग जिला की पूर्व अनुमति एवं विकास योजना के प्रावधान अनुसार क्रमशः 36 मीटर एवं 24 मीटर है। म.प्र. विकास नियम 2012 के नियमानुसार दोनों मार्ग चौड़ाई के मानदंड के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन उचाई निर्माणधीन है।

5. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार-भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

6. आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा सहित प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर स्थल में विसंगति आदि उत्पन्न होने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जावेगी।

7. म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक तथे प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदकों को आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

8. म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत तारों संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।

9. म०प्र० भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जावेगा।

Digitally signed by DEERAJ ANAN
LIKHAN
Date: 2018.03.28 15:20:23 IST

10. यह अनुज्ञा केवल मार्गाधिकार के पश्चात् 24 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दी गई है, जिसका उपविभाजन मान्य नहीं होगा। यदि भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र का उप-विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी। किसी भी परिस्थिती में वाणिज्यिक प्रयोजन से भिन्न अन्य उपयोग में स्वीकार्य नहीं होगी।

11. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत MOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी।

13. इस मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यवर्तन व कारोबार ईयर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।

14. जल-मल निष्कली, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संयुक्त की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टैंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागानगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी। एस.टी.पी. का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप आपके एवं आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के धन पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

15. MOPRO भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रकृतीय प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले छेद अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन आवेदक द्वारा स्वयं के धन से करना होगा।

16. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-32 के प्रावधानों का आवेदक को पालन करना होगा साथ ही स्थल पर अनुमोदित स्थल मानचित्र संबंधी जानकारी 5x4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

17. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार MOPRO भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के परिशिष्ट-अ-1 एवं अ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिरिक्त पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे।

18. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार MOPRO भूमि विकास नियम-2012 के नियम-76 के प्रावधानों अंतर्गत सलघर का उपयोग वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदाय करते समय वाहन पार्किंग की गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवश्यक हेतु निखोजित क्षेत्र एवं ऊँचाई आदि का निर्धारण के पश्चात् ही भवन अनुमति मान्य कि जाए तथा परिशिष्ट-अ-1 के प्रावधानों का भी पालन सुनिश्चित करना होगा।

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पोलियम वाहन पार्किंग का भूमि स्तर से ऊपरी तलों पर प्रावधान प्रस्तावित होने से म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 62 के प्रावधान लागू माने जाएंगे साथ ही मैकेनाईन तल का प्रावधान किया गया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 73 के अनुसार मान्य होगा।

Digitally signed by DEERAJ ANAND
LIKHAR
Date: 2018.03.28 15:20:23 IST

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार सेवा तत्त का प्रावधान किया गया है उक्त प्रस्तावों का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा म.प्र. विकास नियम 2012 के नियम 64 के अनुसार मान्य होंगे।

21. यह अनुज्ञा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार 03 वर्ष हेतु विधिमान्य रहेगी।

22. प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास हेतु अनुमोदित स्थल मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।

23. अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुंच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में, किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि से स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित (रिक्लोक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

संलग्न- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद निखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर, म0प्र0

दिनांक 28/03/2018

पृ0 क्रमांक/नयानि/18/JBLLP4048/बी/42/07.11.2017

1. आवेदक नगर पालिका निगम जबलपुर की ओर सूचनाएं एवं लेख है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों का आवेदक से पालन सुनिश्चित करना हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयनगर जबलपुर।
4. नजूल अधिकारी जबलपुर।
5. तहसीलदार जिला जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाएं।

संलग्न- एक मानचित्र।

(नीरज आनंद निखार)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

Signature valid

Digitally signed by NEERAJ ANAND LIKHAR

Date: 2018.03.28 15:20:23 IST